

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....

पटना, दिनांक-.....

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा कर-प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन तथा निबंधित एवं अनिबंधित कृषि/व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को 90 दिनों हेतु सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-8373, दिनांक-15.11.2019 निर्गत है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, में अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन, जिसमें ऑटो, बैट्री चालित वाहन (ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट ईत्यादि) भी सम्मिलित है, को सम्मिलित करते हुए पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन (बैट्री चालित यानों को छोड़कर) के निबंधन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर W.P (C) No.-13029/1985, M.C. Mehta V/s Union of India में दिनांक-24.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11036/16/2018-MVL, दिनांक-06.03.2020 द्वारा निर्गत निदेश यथास्थिति लागू होंगे एवं अनुपालित किये जायेंगे।
3. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक कर प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
4. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....4346

पटना, दिनांक-

11/6/2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian
29/5

सरकार के सचिव

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....

पटना, दिनांक-.....

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा कर-प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन तथा निबंधित एवं अनिबंधित कृषि/व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को 90 दिनों हेतु सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-8373, दिनांक-15.11.2019 निर्गत है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, में अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन, जिसमें ऑटो, बैट्री चालित वाहन (ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट ईत्यादि) भी सम्मिलित है, को सम्मिलित करते हुए पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन (बैट्री चालित यानों को छोड़कर) के निबंधन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर W.P (C) No.-13029/1985, M.C. Mehta V/s Union of India में दिनांक-24.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11036/16/2018-MVL, दिनांक-06.03.2020 द्वारा निर्गत निदेश यथास्थिति लागू होंगे एवं अनुपालित किये जायेंगे।
3. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक कर प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
4. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक- 11/6/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

X Li au
29/5
सरकार के सचिव

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012, परि0.....

पटना, दिनांक-.....

बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा कर-प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन तथा निबंधित एवं अनिबंधित कृषि/व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त टैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को 90 दिनों हेतु सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-8373, दिनांक-15.11.2019 निर्गत है, जो दिनांक-12.02.2020 तक प्रभावी था, में अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन, जिसमें ऑटो, बैट्री चालित वाहन (ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट ईत्यादि) भी सम्मिलित है, को सम्मिलित करते हुए पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन (बैट्री चालित यानों को छोड़कर) के निबंधन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर W.P (C) No.-13029/1985, M.C. Mehta V/s Union of India में दिनांक-24.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11036/16/2018-MVL, दिनांक-06.03.2020 द्वारा निर्गत निदेश यथास्थिति लागू होंगे एवं अनुपालित किये जायेंगे।
3. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक कर प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।
4. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0...4346 पटना, दिनांक-11/6/2020

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

X 29/5
सरकार के सचिव